न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
99/2024	05.09.2024	28.5.2025

1. बिट्टो पुत्री छोटेलाल (माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा) पत्नि मनीष जाति धोबी निवासी धोबी मौहल्ला, नमक कटरा, भरतपुर
2. नीलम पुत्री छोटेलाल (माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा) जाति धोबी निवासी वासन गेट नमक कटरा भरतपुर
3. कमलेश पुत्री छोटेलाल (माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा) पत्नि राजेन्द्र जाति धोबी निवासी 73 रामस्वरूप कॉलोनी, शाहगंज आगरा, यू.पी.
4. खुशबू पुत्री जगदीश जाति धोबी निवासी 73 रामस्वरूप बस्ती, केदार नगर, शाहगंज आगरा यू.पी.
5. नंदिनी उम्र 12 वर्ष पुत्री मनोज नाबालिग जरिए संरक्षिका बिट्टो पत्नी मनीष जाति धोबी निवासी धोबी मौहल्ला नमक कटरा भरतपुर
6. पूरब उम्र 10 वर्ष पुत्र मनोज नाबालिग जरिए संरक्षिका बिट्टो पत्नी मनीष जाति धोबी निवासी धोबी मौहल्ला नमक कटरा भरतपुर —प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्दर पुत्र बिन्दू जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
2. हुकम पुत्र बिन्दू जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
3. ओमप्रकाश पुत्र रमेश जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
4. सुनीता पुत्री रमेश पत्नि नामालूम जाति धोबी निवासी महुवा तह0 महुवा थ्जला दौसा हॉल गंगापुर सिटी
5. राधा पुत्री रमेश पत्नि नामालूम जाति धोबी निवासी महुवा तह0 महुवा जिला दौसा हॉल गंगापुर सिटी
6. ममता पुत्री रमेश जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
7. अंजली पुत्री राधाकिशन नाबालिग जरिए संरक्षक माता सरोज पत्नि राधाकिशन जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
8. नामालुम पुत्र राधाकिशन नाबालिग जरिए संरक्षक माता सरोज पत्नि राधाकिशन जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
9. सरोज पत्नि राधाकिशन जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
10. अजय बसवाल पुत्र रमेश चंद जाति [illegible] निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी, बजरिया, सवाई [illegible]
11. नत्थी देवी पत्नि रमेश जाति धोबी निवासी गंगापुर सिटी
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बिद्दो वगैरा बनाम इन्दर वगैरा, प्राथना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

(2)

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एड., अप्रार्थी सं. 1 ता 6 व 11 की ओर से
श्री नरेन्द्र वर्मा, एड., अप्रार्थी संख्या 7 ता 10 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 939 रकबा 1.39 है0, ख0न0 943 रकबा 0.31 है0 ग्राम हिगोंट्या की खातेदारी बिन्दू पुत्र भौरया जाति धोबी के नाम दर्ज रही है जो प्रार्थीगण के नाना थे। बिन्दू की मृत्यु के उपरान्त भूमि की खातेदारी विरासत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 80 के जरिए बिन्दू के पुत्र रमेश, राधाकिशन, इन्दर, हुकम व पत्नि फूली के नाम दर्ज कर दी गई तथा प्रार्थीगण की मॉं गुल्लो उर्फ इन्द्रा जो बिन्दू की पुत्री थी, का नाम विरासत में दर्ज नही किया गया जबकि वादग्रस्त भूमि में बिन्दू की पुत्री गुल्लो उर्फ इन्द्रा का भी समान रूप से 1/6 हिस्सा नीहित है। गुल्लो उर्फ इन्द्रा फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 14 है। बिन्दू की पत्नि फूली का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा वर्तमान में दर्ज इन्द्राजात में फूली बेबा बिन्दू की विरासत के रूप में भी प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 14 संयुक्त रूप से बिन्दू के अन्य वारिस चार पुत्रों के साथ समान रूप से हिस्सा 1/5 के खातेदार हैं एवं इसी अनुसार स्वयं को खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के बारे में प्रार्थीगण या उनकी मां को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की माता इन्द्रा को सम्मानपूर्वक मानते चले आ रहे थे तथा भूमि में होने वाली पैदावार में मृतक इन्द्रा के हिस्से 1/6 की फसल या उसका पैसा समय—समय पर प्रार्थीगण की मां को देते चले आ रहे थे। अब प्रार्थीगण की मां की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थीगण के मन में प्रार्थीगण के प्रति बदलाव आने लगा है एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उनके हिस्से 1/6 की फसल देना बन्द कर दिया है। इस सन्दर्भ में दिनांक 15.7.2024 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से बात की तो उन्होने कहा कि हमारी बहन गुल्लो उर्फ इन्द्रा की मृत्यु हो चुकी है इसलिए अब तुम्हारा इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है इसलिए हम तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं देंगे। हम [illegible] सम्मानपूर्वक बुलाते हैं यही बहुत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को [illegible] भूमि में हिस्सा 1/5 देने से दिनांक 15.7.2024 को इन्कार [illegible] प्रार्थीगण ने हलका पटवारी से सम्पर्क किया एवं भूमि के राजस्व अभिलेख की जानकारी ली तो पटवारी हलका ने बताया कि पहले भूमि की खातेदारी बिन्दू के नाम थी, इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

ण्ड अधिकारी
पुर सिटी (राज०)

बिद्टो वगैरा बनाम इन्दर वगैरा, प्राथना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अनुसार विवादित भूमि में तुम्हारी मां का हिस्सा 1/5 बनता है क्योंकि तुम्हारी नानी भी फौत हो चुकी है। पटवारी हलका से रिकार्ड की जानकारी लेकर प्रार्थीगण ने दिनांक 5.8.2024 को रिकार्ड रूम में नकलों के लिए आवेदन किया व दिनांक 6.8.2024 को रिकार्ड की नकलें प्राप्त होने पर प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर चालाकीपूर्ण तरीके से प्रार्थीगण की माता का बिन्दू की पुत्री होने के नाते वारिस के रूप में दर्ज नहीं करवाया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खुलवाए गए विरासत के नामान्तरकरण संख्या 80 सन् 1990 प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी सं0 13 के विरूद्ध शुन्य व प्रभावहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। राजस्व रिकार्ड की नकल मिलने के उपरान्त प्रार्थीगण अपने अभिभाषक से मिली तो उन्होने कुछ और दस्तावेज लाने को कहा जिन्हें लाकर प्रार्थीगण अपने वकील से मिली तो उन्होने बताया कि विवादित भूमि में से मृतक राधाकिशन के वारिसो में से राधाकिशन के पुत्र के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से राधाकिशन की पत्नि सरोज ने अपने हिस्से के साथ पुत्र के नाबालिग होने के बाबजूद अप्रार्थी संख्या 10 को विक्रय कर दिया इसलिए यह दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण के नाम रिकार्ड में गलत इन्द्राज होने के कारण अप्रार्थीगण ने भूमि को भू–माफियाओं को विक्रय कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि ख0न0 939 रकबा 1.39 है0, ख0न0 943 रकबा 0.31 है0, ख0न0 1148/943 रकबा 0.01 है0 ग्राम हिगोंट्या में प्रार्थीगण तथा दावे मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 13 के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे, ना किसी अन्य से करावे, न ही राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि को रहन वय करे तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 11 [illegible] से जबाब प्रस्तुत किया गया। अपने जबाब में अप्रार्थीगण [illegible] आराजी मिन जबाबदारान की खातेदारी व कब्जे [illegible] जी है। जिससे प्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र [illegible] चरण संख्या 5 में जो सजरा पेश किया है उस सजरे के अनुसार बिन्दू समस्त प्रार्थीगण का नाना हो, यह

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

स्वतः गलत हो जाता है। मिन जबाबदार के पिता/बाबा बिन्दू की मृत्यु 1966 में हो चुकी है एवं विरासत का नामान्तरकरण 1990 में उसके चार पुत्रों व पत्नि के नाम सही प्रकार से खोला है। प्रार्थीगण की माँ गुल्लों का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई अधिकार नही रहा है। इस प्रकार उसके नाम नामान्तरकरण खुलने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। गुल्लो उर्फ इन्द्रा की वर्ष 2020 में मृत्यु हो चुकी है एवं इसने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त आराजी में अपना अधिकार नही जताया, ना ही भूमि में हिस्से की कोई मांग की। वास्तव में गुल्लो उर्फ इन्द्रा का कोई अधिकार उक्त आराजी में बनता तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन काल में किसी प्रकार की कोई मांग करती। विरासत के नामान्तरकरण का उसको शुरू से ही ज्ञान रहा है। गुल्लों उर्फ इन्द्रा के निधन के चार वर्ष के पश्चात प्रार्थीगण ने बदनियती से हस्तगत दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है। बिन्दू की पत्नि फूली का स्वर्गवास सन् 2003 में होने के पश्चात् भूमि में बिन्दू के पुत्रों का ही कानूनन अधिकार है तथा फूली के हक में दर्ज सम्पत्ति फूली की मृत्यु के बाद फूली के पुत्रों की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का कोई अधिकार नही है। जब वादग्रस्त आराजी में गुल्लों का कोई हित व अधिकार ही नही रहा है तो विरासत का नामान्तरकरण गुल्लों के हक में खुलने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। विरासत का नामान्तरकरण सन् 1990 मे खुला था ऐसे में 34 वर्षो की लम्बी अवधि तक प्रार्थीगण क्या करते रहे तथा गुल्लो उर्फ इन्द्रा ने अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही क्यो नहीं की। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी की पैदावार में से कभी भी गुल्लो उर्फ इन्द्रा को फसल अथवा पैसा नही दिया है। दिनांक 15.7.24 को मिन जवाबदारान व प्रार्थीगण का कोई वार्तालाप नही हुआ है। सारे तथ्य कपोल कल्पित है। राधाकिशन के वारिसों में भी विधिवत रूप से अपने हिस्से की आराजी को विक्रय किया है। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस किसी तरह से साबित नही है, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर मिन जवाबदारान के पक्ष में है। जवाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर ना तो पहले कब्जा था ना वर्तमान में कब्जा है। इसलिए [illegible] इनका दावा व टी०आई० प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी मिन जवाबदारान की पैतृक खातेदारी व कब्जे की भूमि है। प्रार्थीगण [illegible] अथवा दादा से अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। [illegible] चार पीढियो से प्राप्त सम्पदा ही पैतृक सम्पत्ति कहलाती है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुरूष वंश की चार पीढियों से प्राप्त सम्पदा नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

आराजी मे कोई अधिकार नही बनता है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार मिनजबाबदार के पिता/बाबा बिन्दू रहे है तथा बिन्दू की मृत्यु के पश्चात् सन् 1990 मे विरासत का नामान्तरकरण उनके चार पुत्रों व पत्नी के नाम खोला जा चुका है। सन् 1990 में ही उपरोक्त भूमि के चार हिस्सों में विभाजन कर दिया गया था क्योंकि माता फूली अपने चारो पुत्रों के पास ही रहती थी एवं भूमि पर भी चारों पुत्रों का ही कब्जा था। फूली की मृत्यु सन् 2003 में होने के बाद उक्त आराजी में उसके चार पुत्रों का ही कानूनन अधिकार रहा है। प्रार्थीगण एवं उनकी माता गुल्लों का इस भूमि में किसी विधि के तहत कोई हिस्सा नही बनता है तथा हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार दिनांक 2.9.2005 को प्रार्थीगण के नाना बिन्दू जीवित ही नही थे एवं उत्तराधिकार के क्रम में भूमि का विभाजन सन् 1990 में हो चुका है। इस तरह उक्त आराजी में हिन्दू कानून के तहत गुल्लो का कोई अधिकार ही नही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा किसी भी न्यायालय से नही करायी गई है तथा इस हेतु प्रार्थीगण को नियमानुसार सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। वादग्रस्त आराजी में से रामकिशन के वारिसान द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने हिस्से की भूमि विक्रय की जा चुकी है एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को कैंसिल किये जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित नही है। प्रार्थीगण को सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छिपाते हुए यह मुकदमा पेश किया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने दावा एवं टी.आई. वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया है। मिन जबाबदार के पिता/बाबा की मृत्यु सन् 1988 में हो चुकी है और 1990 मे उनकी विरासत का नामान्तरकरण विधिपूर्ण तरीके से उनके चार पुत्रों व पत्नि के नाम खोला गया तथा इसी अनुसार वे भूमि पर काबिज रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज के आधार पर ही मिन जबाबदार संख्या 10 द्वारा भूमि जरिए रजिस्टर्ड [illegible] गई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की माँ गुल्लो उर्फ इन्द्रा का [illegible] अधिकार नही रहा है। इसी कारण उसका नाम विरासत के [illegible] नही किया गया है। गुल्लो ने अपने जीवनकाल में कभी [illegible] अधिकार नही जताया एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार स्थाई सम्पत्ति में अधिकारों के मांग की समयावधि मियाद अधिनियम के अनुसार 12 वर्ष है जो गुल्लो के जीवनकाल में ही समाप्त हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बिद्दो वगैरा बनाम इन्दर वगैरा, प्राथना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

चुकी थी। गुल्लो के निधन के चार वर्ष पश्चात् हस्तगत दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र बदनियतीपूर्वक प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अब दूसरों के बहकावे में आकर यह प्रकरण प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है। दि. 15.7.2024 को प्रार्थीगण व मिन जबाबदारान के मध्य कोई वार्तालाप नही हुआ है एवं प्रार्थीगण ने सारे तथ्य मनगढ़त अंकित किये हैं। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सम्बत् 2071 से 2074 खाता संख्या 245, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी सम्बत् 2047–50 खाता संख्या 119, फोटोकॉपी नकल खतौनी जमाबंदी सम्बत् 2039 खाता संख्या 119, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र इन्द्रा देवी प्रस्तुत किये हैं।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 11 की ओर फोटोकॉपी नकल जमाबंदी सम्बत् 2071–74 खाता संख्या 245, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र फूला पत्नी बिन्दू, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र बिन्दू धोबी, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0न0 939 रकबा 1.39 है0, ख0न0 943 रकबा 0.31 है0, ख0न0 1148/943 रकबा 0.01 है0 ग्राम हिगोंट्या प्रार्थीगण के नाना बिन्दू की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। प्रार्थीगण के नाना बिन्दू की मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित भूमि की विरासत का नामान्तारकरण संख्या 80 सन् 1990 प्रार्थीगण के नाना बिन्दू के पुत्र रमेश, राधाकिशन, इन्दर, हुकम व पत्नि फूली के नाम खोला गया। प्रार्थीगण की माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा भी बिन्दू की पुत्री है परन्तु बिन्दू के विरासत के नामान्तारकरण में प्रार्थीगण [illegible] इन्द्रा का जानबूझकर अप्रार्थीगण द्वारा नाम दर्ज नहीं करवाया [illegible] क्योंकि प्रार्थीगण के नाना बिन्दू की भूमि में प्रार्थीगण की [illegible] का हिस्सा रहा है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैत्रक [illegible] की नानी फूली का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं उनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा का 1/5 हिस्सा हो गया है परन्तु अप्रार्थीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

जानबूझकर फूली की विरासत में भी प्रार्थीगण की माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा का नाम दर्ज नहीं करवाया। इस प्रकार प्रार्थीगण की माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा को उसके विधिक अधिकार से जानबूझकर वंचित रखा गया। अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किए गए विरासत के गलत नामान्तरकरण प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध शुन्य व प्रभावहीन हैं एवं इनसे प्रार्थीगण के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्से का अधिकार रखते हैं। वर्ष 2020 में प्रार्थीगण की माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा का भी देहान्त हो चुका है। इनके देहान्त के पश्चात् प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से के लिए अप्रार्थीगण से बात की तो अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा होने से साफ इन्कार कर दिया एवं कहा कि ज्यादा करोगे तो हम भूमि का विक्रय कर देंगे जिससे ना तो भूमि रहेगी और ना ही कोई विवाद रहेगा। अप्रार्थी संख्या 7, 8, 9 ने भूमि का विक्रय भी कर दिया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के हिस्से 1/6 को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक बिन्दू के विधिक वारिस हैं तथा वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्से की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं एवं इसी अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त 2025(1) सीजे(सिविल)(राज0) पेज 363 प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 11 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं इस भूमि पर वर्तमान में कब्जा भी अप्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर ना तो पहले कभी कब्जा रहा है एव ना ही वर्तमान में कब्जा है। वादग्रस्त भूमि बिन्दू की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जो उनकी मृत्यु के बाद सन् 1990 में उनके विधिक वारिस पुत्र रमेश, राधाकिशन, इन्दर व हुकम तथा पत्नि फूला के नाम विरासत में दर्ज हो गई। इनमें फूला की मृत्यु होने पर उसके नाम दर्ज भूमि उसके विधिक वारिस उसके पुत्र रमेश, राधाकिशन, इन्दर व हुकम की खातेदारी में दर्ज हो गई। इस प्रकार प्रार्थीगण की माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा के नाम भूमि कभी [illegible] रही है। प्रार्थीगण की माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा का वर्ष [illegible] गुल्लो उर्फ इन्द्रा ने अपने पिता बिन्दू की वर्ष 1988 में मृत्यु [illegible] बाद से स्वयं की वर्ष 2020 में मृत्यु होने तक अर्थात 32 वर्ष में कभी भी वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बिट्टो वगैरा बनाम इन्दर वगैरा, प्राथना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

(8)

सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की माता को पता था कि वादग्रस्त भूमि में उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थीगण ने भी अपनी माता के निधन के 4 वर्ष बाद बदनियति से एवं दूसरे लोगों के बहकावे में आकर हस्तगत वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो विधि अनुसार चलने योग्य ही नहीं है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण अपने नाना के नाम दर्ज भूमि पर खातेदारी घोषणां चाहते हैं एवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं, भूमि पर काबिज काश्त हैं, प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर ना तो कभी कब्जा काश्त रहा है और ना ही भूमि कभी उनकी माता गुल्लो उर्फ इन्द्राज की खातेदारी में दर्ज रही है इसलिए प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं है। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2014(2) पेज 1301, आर0आर0टी0 (सप्ली0) 2022–23 पेज 176, आर0आर0टी0 2023(2) पेज 922, 938, 1090, 1213, उत्तराधिकार एवं विरासत कानून प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 वादग्रस्त भूमि के विधिक खातेदार काश्तकार हैं, प्रार्थीगण का एवं प्रार्थीगण की स्वर्गीय माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। अतः इन्हें खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध अभिलेख एवं विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि को उनके नाना बिन्दू की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि बताया है जो राजस्व अभिलेख से भी प्रमाणित है एवं इस तथ्य को अप्रार्थीगण भी अपने जवाब में स्वीकार करते हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण के [illegible] पूर्व ही एवं उनके नाम दर्ज भूमि की विरासत का नामान्तरकरण [illegible] 1990 में खोला गया। विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के नाना के पुत्र रमेश, राधाकिशन, इन्दर, हुकम तथा पत्नि फूली के नाम खोला गया जबकि प्रार्थीगण की माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा मृतक बिन्दु की पुत्री थी एवं विरासत नामान्तरकरण में प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

माता का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। इसलिए प्रार्थीगण ने घोषणां खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति को देखा जाता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी व कब्जे को मुख्य रूप से निर्धारित किया जाता है। प्रार्थीगण की ओर से पत्रावली पर जो राजस्व अभिलेख उपलब्ध करवाया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त भूमि बिन्दु की खातेदारी में दर्ज रही है, बिन्दु के पश्चात् विरासत में उसके पुत्र रमेश, राधाकिशन, इन्दर, हुकम व पत्नि फूली के नाम दर्ज हुई है। फूली की मृत्यु के बाद उसके नाम दर्ज भूमि अप्रार्थी रमेश, राधाकिशन, इन्दर व हुकम के नाम आई है। इनमें रमेश व राधाकिशन की मृत्यु के बाद इनके नाम दर्ज भूमि इनके वारिसों के नाम दर्ज हो गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है एवं वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का या उनकी स्वर्गीय माता गुल्लो उर्फ इन्द्रा का नाम कभी दर्ज नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में भी प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा चला आ रहा हो। हालांकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में उनका 1/6 हिस्सा होना क्लेम करते हैं एवं इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त 2025(1) सीजे (सिविल) (राज0) पेज 363 भी प्रस्तुत किया है परन्तु इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य व सबूतों के आधार पर किया जावेगा, यहां अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के मामले में यह रूलिंग चस्पा नहीं होती है तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि प्रार्थीगण ना तो वादग्रस्त भूमि के खातेदार हैं और ना ही वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा प्रमाणित है इसलिए सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 11 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2014(2) पेज 1301, आर0आर0टी0 (सप्ली0) 2022–2 [illegible] 176, आर0आर0टी0 2023(2) पेज 922, 938, 1090, 1213 [illegible] होते हैं। इन न्याय दृष्टान्तो में मूल रूप से यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि भूमि के रेकार्डेड खातेदार व कब्जाधारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बिद्दो वगैरा बनाम इन्दर वगैरा, प्राथना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु साबित नहीं होते हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, साथ ही भूमि खसरा नम्बर 1148/943 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 939 रकबा 1.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 943 रकबा 0.31 है0 ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5.9.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश भी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.22 17:46:49 IST
Reason: SelfAttested